कार्यालय, जिला पंचायत-जशपुर (छ.ग.)

//प्रेस विज्ञप्ति//

छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2012 तथा यथा संशोधित नियमों के तहत तथा राज्य शासन से प्राप्त निर्देशानुसार सीधी भर्ती हेतु प्राप्त व्याख्याता पंचायत के 341 पदों की भर्ती हेतु व्यवसायिक परीक्षा मण्डल से प्राप्त प्रावीण्य सूची के अनुसार विषयवार पात्र अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक 15-11-2017...को समय 10:30 बजे से **अंग्रेजी, गणित एवं भौतिक** से संबंधित एवं दिनांक 16-11-2017....को समय 10:30 बजे से **जीवविज्ञान, रसायन, वाणिज्य एवं भूगोल** विषय का सत्यापन जिला पंचायत जशपुर के सभा कक्ष में नियत किया गया है। सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों के उपस्थिति कि पात्रता सूची का प्रकाशन किया जा रहा है।

सूची जिला जशपुर के वेबसाईट www.jashpur.gov.in पर अपलोड एवं जिला पंचायत के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है, साथ ही संबंधित अभ्यर्थियों के वर्तमान पते पर सूचना पत्र एवं एस.एम.एस. के माध्यम से सूचना प्रेषित कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों को सूचना पत्र प्राप्त नही होने की स्थिति में सत्यापन तिथि को संबंधित शाखा से द्वितीय प्रति प्राप्त की जा सकती है। अभ्यार्थियों द्वारा दस्तावेज परीक्षण हेतु मूल प्रति तथा 01 सेट सत्यापित छायाप्रति में लाये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :-

1. छ.ग. का मूल निवास प्रमाण पत्र ।
2. आरक्षित वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र ।
3. आयु संबंधित प्रमाण पत्र (10वीं की अंक सूची)
4. द्विव्यांगता प्रमाण पत्र यदि हो तो (नवीनीकृत 40 प्रतिशत से अधिक मेडिकल बोर्ड से)
5. भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यदि हो तो ।
6. स्नातक प्रमाण पत्र (प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष अंतिम वर्ष)।
7. स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र (प्रथम वर्ष, अंतिम वर्ष)।
8. जीवित रोजगार प्रमाण पत्र ।
9. व्यवसायिक प्रमाण पत्र (बी.एड़)
10. शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक होने पर नियोक्ता का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र।
11. नाम परिवर्तन संबंधि दस्तावेज यदि हो तो।
12. 10 रूपये का स्टाम्प पेपर में घोषणा पत्र। (संलग्न प्रारूप देखें)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, जशपुर (छ0ग0)

पृ.क्रमांक/3067 /जि.पं./शिक्षा स्था./2017 जशपुर, दिनांक 06/11/2017

प्रतिलिपिः-

1. कलेक्टर महोदया जिला-जशपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. जन सम्पर्क अधिकारी जिला जशपुर को सूचनार्थ एवं किन्ही दो समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ हेतु।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को सूचनार्थ एवं जिले के वेबसाईट में अपलोड़ हेतु।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, जशपुर (छ0ग0)

D:\SHIKCHHA_KARMI\memo pu.doc

कार्यालय, जिला पंचायत, जशपुर (छ0ग0)

सूचना पत्र

क्रमांक /   / जि.पं. / शिक्षा स्था. / 2017   जशपुर दिनांक

प्रति,

श्री / श्रीमती / कु......................................

....

....

....

विषय :– **मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होने बावत्।**

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपका नाम व्याख्याता (पंचायत) विषय .... के मेरिट सूची में है दिनांक..............................को प्रातः 10.30 बजे से जिला पंचायत के सभाकक्ष में आपके मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन छानबीन समिति द्वारा किया जावेगा। अतः आप उक्त तिथि को निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से निम्नांकित मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

1. शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन, यदि विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र, यदि भूतपूर्व सैनिक है तो भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रति, यदि पूर्व से सेवारत हैं तो नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

इस सूचना पत्र में रिक्त पद के विरूद्ध मेरिट क्रम में आरक्षण अनुसार बुलाया गया है। अतः आपका चयन मेरिट क्रम में आने पर ही किया जावेगा। अन्यथा आप प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। यह पत्र पंजीकृत डाक से भेजा जा रहा है। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने पर आपका नाम चयन सूची से हटाकर अगले क्रम के अभ्यर्थी का चयन किया जावेगा। इसके लिए पृथक से पुनः सूचना जारी नहीं की जावेगी। अनुपस्थिति की दशा में चयन सूची से नाम हटने पर आप स्वतः जवाबदार होंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, जशपुर (छ0ग0)